यू.पी.पावर कॉर्पोरेशन लि. और अन्य

बनाम

मैसर्स बांड्स एंड बियॉन्ड्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड

सितम्बर 24, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.]

विद्युत कानून:

यू.पी. बिजली (आपूर्ति, वितरण, उपभोग और उपयोग का विनियमन) आदेश, 1977 (संशोधित) - बिजली की खपत - पीक आवर प्रतिबंधों का उल्लंघन - मीटर रीडिंग निरीक्षण रिपोर्ट, 35 दिनों के लिए डेटा संग्रहीत करना, उपभोक्ताओं द्वारा किए गए उल्लंघनों की संख्या दर्ज करना - जुर्माना लगाना -माना गया: प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जाएगा - एक एमआरआई रिपोर्ट को पीक ऑवर प्रतिबंध का केवल इसलिये एकल उल्लंघन नहीं माना जाएगा क्योंकि उल्लंघन एक एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज किया गया है।- विद्युत अधिनियम, 1910

इस अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या एक मीटर रीडिंग निरीक्षण रिपोर्ट जो 35 दिनों के लिए डेटा संग्रहीत करती है, को बिजली की खपत के संबंध में पीक ऑवर प्रतिबंध के एकल उल्लंघन के रूप में माना जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त

रिपोर्ट में शामिल अवधि के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा-कितनी संख्या में उल्लंघन किए गए होंगे।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया:

दिनांक 15-10-1998 और 7-4-1999 के दो परिपत्रों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि पहली बार एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर पीक आवर्स के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर एक महीने के लिए एक जुर्माना बिल में लगाया जाए. इसलिए, परिपत्र दिनांक 7-4-1999 द्वारा उपभोक्ताओं को एकमुश्त रियायत दी गई थी लेकिन यह आने वाले समय के लिए नहीं थी। दूसरे बिल और बाद के बिलों के लिए, जुर्माने की प्रक्रिया वही रहेगी जो परिपत्र दिनांक 15-10-1998 में उल्लिखित है। परिपत्र दिनांक 15-10-1998 के अनुसार, जब भी एमआरआई कंप्यूटर प्रिंट लिया जाएगा, उपभोक्ता द्वारा उल्लंघनों की संख्या उतनी ही मानी जाएगी । एमआरआई में दर्शाए गए समय के अनुसार कोई छूट नहीं होगी और न ही उल्लंघनों को एक उल्लंघन माना जाएगा और अलग से व्यवहार किया जाएगा। इन दोनों परिपत्रों में स्पष्ट रूप से विचार किया गया है कि प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जाएगा और केवल इसलिए नहीं कि उल्लंघन एक एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं, इसलिए सभी को एक उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा यह विचार किया गया कि उपभोक्ता पर प्रत्येक कथित उल्लंघन के

लिए जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन केवल एक बार कथित मीटर रीडिंग रिपोर्ट के आधार पर, जिसका अर्थ है कि ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को एक उल्लंघन के रूप में माना जाएगा ,स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त, और कायम नहीं रखा जा सकता। [पैरा 5] [287-बी-एफ]

यू.पी.विद्युत निगम. लिमिटेड और अन्य. बनाम लोहिया ब्रास (पी) लिमिटेड और अन्य। [2006] 7 एससीसी 220, निम्न पर निर्भर -

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4465/2001

(सिविल विविध 4214/2001 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 25.05.2001 से)

अपीलकर्ताओं के लिए सुबोध गोखले, प्रवीण एस वटे, नरेश कुमार और प्रदीप मिश्रा.

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया-

1. अनुमति दी गई ।

2. इस अपील में चुनौती इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को दी गई है जिसमें कहा गया है कि एफ अपीलकर्ता-निगम द्वारा विभिन्न बिलों के माध्यम से पीक ऑवर प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए जुर्माना वसूलने की मांग को बरकरार नहीं

रखा जा सकता है। सवाल यह था कि क्या एक मीटर रीडिंग निरीक्षण रिपोर्ट (संक्षेप में 'एमआरआई) को वाणिज्यिक प्रतिबंधों के एकल उल्लंघन के रूप में माना जाना चाहिए, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त रिपोर्ट में शामिल अवधि के दौरान उपभोक्ताओं द्वारा कई उल्लंघन किए गए होंगे।

3. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विद्युत अधिनियम, 1910 (इसके बाद इसे "1910 का अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 22-बी के तहत एक अधिसूचना जारी की, जिसे यू.पी. के नाम से जाना जाता है। विद्युत (आपूर्ति, वितरण, उपभोग और उपयोग का विनियमन) आदेश, 1977 जिसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। इस आदेश को 30-4-1984 को संशोधित किया गया, जिसेंयूपी विद्युत (आपूर्ति, वितरण, उपभोग और उपयोग का विनियमन) (पहला संशोधन) आदेश, 1984 के नाम से जाना जाता हैजिसके द्वारा 1977 के आदेश के खंड 9 में संशोधन किया गया और इसे निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया:

> "9. (1) भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 की धारा 42 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के सभी मुख्य जोनल अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता, राज्य सरकार के मुख्य

विद्युत निरीक्षक, सभी उप विद्युत निरीक्षक और सभी सहायक विद्युत निरीक्षक ऐसी स्थापना के संबंध में बिना किसी सूचना के आपूर्ति को संक्षेप में काटने के लिए अधिकृत हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए निरीक्षण में इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन पाया जाता है।

नीचे निर्दिष्ट अवधि के लिए डिस्कनेक्ट कर आपूर्ति बंद कर दी जाएगी -

(ए) समय की दृष्टि सें पहला उल्लंघन - 5 दिन

(बी) समय की दृष्टि सें पहला उल्लंघन - 10 दिन

(सी) समय की दृष्टि सें पहला उल्लंघन - 20 दिन

(डी) समय के तीसरे बिंदु से परे उल्लंघन - स्थायी रूप से:

बशर्ते कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए 1-5-1984 से पहले के किसी भी उल्लंघन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त, ऐसे उपभोक्ता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे

प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माना इस प्रकार है:

(ए) 100 केवीए तक 50 रुपये प्रति केवीए पर अनुबंधित भार वाले उपभोक्ताओं को उनके अनुबंधित भार पर।

(बी) 100 केवीए से अधिक और 500 केवीए तक 30 रूपये प्रति केवीए पर अनुबंधित भार वाले उपभोक्ता उनके अनुबंधित भार पर, जो न्यूनतम 5000 रुपये होगा ।

(सी) 500 केवीए से अधिक 20 रुपये प्रति केवीए पर अनुबंधित लोड वाले उपभोक्ताओं को उनके अनुबंधित लोड पर की दर से जो न्यूनतम 15,000 रुपये होगा ।

जुर्माना अदा करने और उपरोक्त निर्दिष्ट विच्छेदन अवधि की समाप्ति, जो भी बाद में हो, के बाद ही पुन: संयोजन किया जाएगा।"

4. 1984 का संशोधित आदेश प्रारंभ में 1-5-1984 से 21-5-1984 तक लागू किया गया था। राज्य सरकार ने पुनः एक और आदेश 1984 21-5-1984 को जारी किया जिसे यू.पी. विद्युत (आपूर्ति, वितरण, उपभोग और उपयोग का विनियमन) (दूसरा संशोधन) आदेश, और इसे 1-5-1984 से लागू किया गया। इसके द्वारा, पहले संशोधन आदेश के खंड III को प्रतिस्थापित किया गया था और इसे 1-5-1984 से लागू किया गया था और इसे वापस लेने तक लागू रहना था।यह आरोपित है कि उक्त आदेश राज्य सरकार ने वापस नहीं लिया और अब भी लागू है. निगम ने उपभोक्ताओं द्वारा कदाचार की जांच करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाए हैं जो कम्प्यूटरीकृत हैं और 35 दिनों के लिए डाउनलोड किए जा

सकते हैं जो पिछले 35 दिनों में पीक ऑवर्स प्रतिबंध के किसी भी उल्लंघन सहित खपत का विवरण दिखाएंगे। इसके बाद, बोर्ड ने 15-10-1998 को इस आशय का एक परिपत्र जारी किया कि मीटर रीडिंग निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार पीक आवर्स प्रतिबंधों के लिए जुर्माना लगाया जाएगा। हालाँकि, दिनांक 7-4-1999 के नोटिस द्वारा यह बताया गया था कि पहली बार मीटर रीडिंग निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर पीक आवर्स के प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर बिल पर एक महीने का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालाँकि, दूसरे बिल और उसके बाद, जुर्माने की प्रक्रिया वही रहेगी जो परिपत्र दिनांक 15-10-1998 में उल्लिखित है। इस तथ्यात्मक मैट्रिक्स में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने 15-10-1998 और 7-4-1999 के इन दो परिपत्रों को पढ़ने के बाद यह विचार किया कि एफ आदेश दिनांक 7-4-1999 के मद्देनजर, उपभोक्ता ऐसा नहीं कर सकता। प्रत्येक कथित उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन केवल एक बार कथित मीटर रीडिंग रिपोर्ट के आधार पर, जिसका अर्थ है कि ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को एक उल्लंघन माना जाएगा। एक मीटर रीडिंग निरीक्षण रिपोर्ट जो 35 दिनों के लिए डेटा संग्रहीत करती है, को इस तथ्य के बावजूद एक उल्लंघन माना जाएगा कि रिपोर्ट में पीक ऑवर प्रतिबंध के कई उल्लंघन किए गए होंगे, लेकिन एक मीटर रीडिंग निरीक्षण रिपोर्ट को एक उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सिविल विविध रिट पीटिशन न. 4214/2001 में दिये गये इस आदेश सें

व्यथित होकर विशेष अनुमति सें यह अपील की गई।

5. इन दोनों अधिसूचनाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 7-4-1999 के संचार द्वारा राहत केवल एक बार के लिए दी गई थी और इसे भविष्य में संचालित करने का इरादा नहीं था। एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर पीक आवर्स की पाबंदियों का पहली बार उल्लंघन करने पर एक माह की सजा हो सकती है. दूसरे बिल और उसके बाद के बिलों के लिए जुर्माने की प्रक्रिया वही रहेगी जो परिपत्र दिनांक 15-10-1998 में उल्लिखित है। इसलिए, परिपत्र दिनांक 15-10-1998 के अनुसार, जब भी एमआरआई कंप्यूटर प्रिंट लिया जाता है, तो उपभोक्ता द्वारा उल्लंघनों की संख्या एमआरआई में दर्शाई गई संख्या से कई गुना अधिक मानी जाएगी और यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि कोई छूट नहीं दी जाएगी। न ही उल्लंघनों को एक उल्लंघन माना जाएगा और अलग से व्यवहार किया जाएगा। यह भी कहा गया कि जिस एसडीओ, जूनियर इंजीनियर व लाइनमैन के क्षेत्र में उपभोक्ताओं द्वारा उल्लंघन किया गया है, उल्लंघन रोकने में विफल रहने पर उन्हें मुख्य अभियंता स्तर पर दंडित करने पर विचार किया जाये. सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब भी एमआरआई समय पर नहीं कराया गया है, तो मामले की स्थिति के आधार पर अस्थायी कनेक्शन काटने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन पहली अवज्ञा पर कम से कम 5 दिन का कनेक्शन काटने का

जुर्माना लगाया जाएगा। इसलिए, इन दोनों सर्कुलरों को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि बिल में पहली बार एमआरआई रिपोर्ट के आधार पर पीक ऑवर्स के प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर एक महीने के लिए एक जुर्माना लगाया जाना था। इसलिए, परिपत्र दिनांक 7-4-1999 द्वारा उपभोक्ताओं को एकमुश्त रियायत दी गई थी लेकिन यह आने वाले समय के लिए नहीं थी। इन दोनों परिपत्रों में स्पष्ट रूप से विचार किया गया है कि प्रत्येक उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जाएगा और केवल इसलिए नहीं कि उल्लंघन एक एमआरआई रिपोर्ट में दर्ज किए गए हैं, इसलिए, इसे एक उल्लंघन के रूप में माना जाएगा। इसलिए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त है, और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

6. यूपी विद्युत निगम. लिमिटेड और अन्य. बनाम लोहिया ब्रास (पी) लिमिटेड और अन्य, [2006] 7 एससीसी 220 में भी ऐसे ही मुद्दे पर विचार किया गया. और यह माना गया कि उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण उचित नहीं है।

7. तदनुसार, लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी धर्मेन्द्र जाखड़, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।